कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1415077 दि0 - 01-10-2014
1447

पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2014-15/ / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(सचल दल-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :दिनांक :: ~~सितम्बर~~ 01 अक्टूबर 2014, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के परिपत्र सं0 -सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14/1584//वाणिज्य कर दिनांक 04.10-2013 एवं कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1314057 दिनांक 07.10.2013 के द्वारा प्रान्त बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए ई-संचरण की वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गयी है। उक्त परिपत्र के प्रस्तर संख्या -13 में यह निर्देश दिये गये हैं कि ई-संचरण की व्यवस्था को अपनाने वाले व्यापारियों लिए मुद्रित फार्म XXXVIII उपलब्ध नहीं होगा।

इस संबंध में मुख्यालय पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कभी कभी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में विभाग से उन्हें मुद्रित फार्म XXXVIII की आवश्यकता पड़ती है। सितम्बर 2014 की मासिक समीक्षा बैठक में फील्ड के अधिकारियों द्वारा भी उक्त तथ्य से अवगत कराया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिये जाते हैं कि विशेष परिस्थिति में जिन व्यापारियों द्वारा ई-संचरण की व्यवस्था अपनाई गयी है उन्हें, विगत तिमाही में उनके द्वारा प्रयुक्त ई-संचरण की संख्या का 10 % या अधिकतम 50, जो भी कम हो , मुद्रित फार्म XXXVIII प्राप्त करने का विकल्प पूरे त्रैमास के लिए उपलब्ध होगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी त्रैमास में मुद्रित फार्म XXXVIII जारी करते समय, पूर्व में जारी अप्रयुक्त फार्म को, फार्म की देयता की गणना में से घटाकर मुद्रित फार्म XXXVIII जारी किये जायेंगे।

यह मुद्रित फार्म XXXVIII, फार्म के विभागीय माड्यूल से जारी किये जाने की पूर्ववत् व्यवस्था के अनुसार जारी किये जायेंगे। उपर्युक्त मुद्रित फार्म XXXVIII जारी करने के आदेश करते समय व्यापारी की पत्रावली पर अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया जायेगा। मुद्रित फार्म XXXVIII प्राप्त करने वाले व्यापारी का यह दायित्व होगा कि इन फार्मो के प्रयोग का विवरण नियमानुसार प्रयोग करने के 07 दिन के अन्दर पूर्ववत् संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

30.9.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)